1130

[2018] 7 एस. सी. आर 1130

/

[2018] 7 एस सी आर।

/

न्यासियों का केंद्रीय बोर्ड

बनाम

मेसर्स इंदौर कम्पोजिट पी. वी. टी. लिमिटेड। (2018 की सिविल अपील संख्या 7240)

/

26 जुलाई, 2018

[अभय मनोहर सप्रे और नवीन सिन्हा**,** जे**.** जे**.]**

अभ्यास और प्रक्रिया-अनुचित आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज करना-अपीलकर्ता की स्वामित्व ने वर्ष में भविष्य निधि योगदान का भुगतान न करने के लिए प्रतिवादी को समन जारी किया और प्रतिवादी को विलंबित भुगतान के लिए अन्य बातों के साथ-साथ हर्जाने का भुगतान करने का आदेश दिया-प्रतिवादी ने अपील दायर की, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि न्यायाधिकरण द्वारा अनुज्ञात गई थी-अपीलकर्ता ने रिट याचिका दायर की, जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने खारिज कर दिया था-अपील पर कहा गया:डिवीजन बेंच ने मामले में उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे पर विचार किए बिना रिट याचिका को तुरंत खारिज कर दिया और साथ ही अपने मामले के समर्थन में पक्षों द्वारा की आक्षेपित को भी खारिज कर दिया-केवल डिवीजन बेंच द्वारा रिट याचिका के निपटारे में इस्तेमाल की गई अभिव्यक्ति "उचित विचार पर" है-यह स्पष्ट नहीं है कि वह उचित विचार क्या था जिसने डिवीजन बेंच को रिट याचिका का निपटारा करने के लिए राजी किया-अदालतों को हर मामले में तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है जिसमें तथ्य, मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दे, पक्षों द्वारा आग्रह किए गए प्रस्तुतियाँ, शामिल मुद्दों पर लागू कानूनी सिद्धांत और मामले में उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों पर निष्कर्षों के समर्थन में कारण शामिल होते हैं-डिवीजन बेंच इन सिद्धांतों को ध्यान में रखने में विफल रही, जिससे पक्षों को पूर्वाग्रह हुआ-विवादित आदेश अलग कर दिया गया-मामला डिवीजन को भेज दिया गया7 ए, 7 सी, 7 क्यू और 14 बी।

/

/

/

/

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.1** डिवीजन बेंच ने अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को मामले में उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे पर विचार किए बिना और अपने मामले के समर्थन में पक्षों द्वारा आग्रह की गई दलीलों को भी खारिज कर दिया।**[**पैरा **13] [1133-**ई**]**

/

1.2 वास्तव में, अपील में शामिल तथ्यात्मक और कानूनी विवाद के लिए न्यायिक दिमाग के किसी भी अनुप्रयोग के अभाव में और बिना किसी चर्चा, प्रशंसा, तर्क के

/

1130 ए.

1131

ट्रस्टियों का केंद्रीय बोर्ड बनाम एम/एस इंदौर कंपनी पी. वी. टी. लिमिटेड।

और मुद्दों पर स्पष्ट निष्कर्ष और रिट याचिका में आक्षेपित निष्कर्षों को क्यों बरकरार रखा जाना चाहिए या उलट दिया जाना चाहिए, मामले में लागू कानूनी सिद्धांतों के आलोक में पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए, खंड पीठ के ऐसे आदेश को बनाए रखना मुश्किल है।डिवीजन बेंच द्वारा उपयोग की जाने वाली एकमात्र अभिव्यक्ति "उचित विचार पर" है।यह स्पष्ट नहीं है कि वह उचित विचार क्या था जिसने डिवीजन बेंच को रिट याचिका का निपटारा करने के लिए राजी किया क्योंकि पहले के पैराग्राफ में केवल तथ्य दिए गए हैं।समय-समय पर, उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय ों पर प्रत्येक मामले में तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है जिसमें एल. आई. एस. के पक्षकारों के मामले के नंगे तथ्यों का वर्णन, मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दे, पक्षों द्वारा आग्रह किए गए प्रस्तुतिकरण, शामिल मुद्दों पर लागू कानूनी सिद्धांत और मामले में उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों पर निष्कर्षों के समर्थन में कारण शामिल होने चाहिए और पक्षकारों के वकील द्वारा इसके निष्कर्ष के समर्थन में आग्रह किया गया है। डिवीजन बेंच रिट याचिका का निपटारा करते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखने में विफल रही।इस तरह के आदेश ने पक्षों के लिए पूर्वाग्रह पैदा किया है क्योंकि यह उन्हें यह जानने से वंचित करता है कि एक पक्ष क्यों जीता है और दूसरा क्यों हारा है।विधि के अनुसार गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय की खंड पीठ को भेज दिया जाता है।**[**पारस **14-16] [1133-F-H; 1134-A-C]**

/

/

/

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2018 की सिविल अपील संख्या 7240।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2017 के डब्ल्यू. पी. सं. 1046 में इंदौर की पीठ के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।दुष्यंत पाराशर, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

/

नवीन प्रकाश, सुश्री मीतू सिंह, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय मनोहर सप्रे, जे. 1.अनुमति दी गई।

2. यह अपील 2017 की रिट याचिका No.1046 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय , इंदौर की पीठ द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 01.08.2017 के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया और 2015 के ATA No.214 (8) में कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2016 की पुष्टि की।

/

/

3. मामले के तथ्य एक संकीर्ण दिशा में निहित हैं और यह नीचे बताए गए तथ्यों से स्पष्ट होगा।

4. 19.05.2008 पर, अपीलकर्ता-केंद्रीय न्यासी मंडल ने अर्ध-कुशल की श्रेणी के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन पर वर्ष 2005-2006 में भविष्य निधि योगदान का भुगतान नहीं करने के लिए प्रतिवादी-मेसर्स इंदौर कम्पोजिट प्राइवेट लिमिटेड को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 7 ए के अंतर्गत समन जारी किया।प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि ने पूछताछ अंतर्गत भाग लिया और प्रस्तुत किया कि विभाग ने वर्ष 2005-2006 के लिए फॉर्म 3 ए अंतर्गत पहले से प्रस्तुत कर्मचारियों के गैर-कार्य दिवसों पर विचार नहीं किया है और कुछ कर्मचारी अकुशल की श्रेणी अंतर्गत हैं जबकि विभाग ने उन सभी को अर्ध-कुशल माना है। अपीलार्थी ने, उपरोक्त पर विचार करने के बाद, दिनांक 15.04.2010 के आदेश द्वारा,

प्रत्यर्थी को उस आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर Rs.87,204/- जमा करने का निर्देश दिया।यह भी कहा गया कि धारा 7 ए के अंतर्गत उपरोक्त आदेश अधिनियम की धारा 7 सी, 7 क्यू और 14 बी के अंतर्गत किसी भी कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना है।

/

/

/

5. 21.01.2015 पर, अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 14B के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए, प्रत्यर्थी को 01/2007 से 02/2006 से 05/2013 तक के विलंबित भुगतान के लिए Rs.91,585/- के हर्जाने और संबद्ध बकाया का भुगतान करने का आदेश दिया।

/

6. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, प्रतिवादी ने कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष 2015 का ए. टी. ए. No.214 (8) के रूप में एक अपील दायर की। दिनांक 06.09.2016 के आदेश के माध्यम से, न्यायाधिकरण ने अपील की अनुज्ञात और अपीलार्थी द्वारा पारित दिनांक 21.01.2015 के आदेश को रद्द कर दिया।

/

7. पीड़ित महसूस करते हुए, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 की रिट याचिका No.1046 के रूप में रिट याचिका दायर की।उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा याचिका को खारिज कर दिया।

8. अपीलार्थी ने व्यथित महसूस किया और इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर की।

/

9. इस अपील में विचार के लिए जो छोटा प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय की खंड पीठ अपीलार्थी की रिट याचिका को खारिज करने में उचित थी।

10. पक्षकारों की विद्वान सलाह सुनी।

/

1133

ट्रस्टियों का केंद्रीय बोर्ड बनाम एम/एस इंदौर

कम्पोजिट पी. वी. टी. लिमिटेड. [अभय मनोहर सेप्रे, जे.] ए.

/

11. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, हम अपील की अनुमति देने, आक्षेपित आदेश को दरकिनार करने और विधि के अनुसार गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय की खंडपीठ को भेजने के लिए विवश हैं।

12. तथ्यों को निर्धारित करने के बाद, खंड पीठ ने अपने समापन पैरा में निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निपटारा करने के लिए आगे बढ़े, जो इस प्रकार हैः

/

"अभिलेख पर अतिरिक्त दस्तावेज लेने के लिए नए दस्तावेजों और शपथ पत्र के आधार पर उपरोक्त पर उचित विचार करने पर**,** हम प्रतिष्ठान को मार्च **2006-**अप्रैल **2010** की अवधि के लिए हर्जाने का भुगतान करने का निर्देश नहीं दे सकते हैं**,** जब ये सभी आपत्तियां विद्वत न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं ली गई थीं।

/

उपरोक्त पर विचार करते हुए**,** हमारा विचार है कि विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत और उचित है और आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप के लिए कोई मामला आवश्यक नहीं है।याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है। **"**

/

(जोर दिया गया**)**

/

13. हमारी राय में, मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेजने की आवश्यकता इस कारण से हुई है कि खंड पीठ ने अपीलार्थी (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर रिट याचिका को मामले में उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे पर विचार किए बिना और अपने मामले के समर्थन में पक्षों द्वारा आग्रह किए गए तर्कों को भी खारिज कर दिया।

/

14. वास्तव में, अपील में शामिल तथ्यात्मक और कानूनी विवाद पर न्यायिक दिमाग के किसी भी अनुप्रयोग के अभाव में और मुद्दों पर कोई चर्चा, प्रशंसा, तर्क और स्पष्ट निष्कर्षों के बिना और रिट याचिका में आक्षेपित निष्कर्षों को बरकरार रखने या उलटने के योग्य क्यों है, मामले में लागू कानूनी सिद्धांतों के आलोक में पक्षों की दलीलों पर विचार करते समय, इस न्यायालय के लिए खंड पीठ के ऐसे आदेश को बनाए रखना मुश्किल है।डिवीजन बेंच द्वारा अपील के निपटारे में इस्तेमाल की जाने वाली एकमात्र अभिव्यक्ति "उचित विचार पर" है।यह हमारे लिए स्पष्ट नहीं

है कि वह उचित विचार क्या था जिसने डिवीजन बेंच को रिट याचिका का निपटारा करने के लिए राजी किया क्योंकि हम पाते हैं कि पहले के पैराग्राफ में केवल तथ्य दिए गए हैं।

/

/

1134

/

[2018] 7 एस सी आर।

15. समय-समय पर, इस न्यायालय ने न्यायालय ों पर प्रत्येक मामले में तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है जिसमें एल. आई. एस. के पक्षकारों के मामले के नंगे तथ्यों का वर्णन, मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दे, पक्षों द्वारा आग्रह किए गए प्रस्तुतियाँ, शामिल मुद्दों पर लागू कानूनी सिद्धांत और मामले में उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों पर निष्कर्षों के समर्थन में कारण शामिल होने चाहिए और इसके निष्कर्ष के समर्थन में पक्षों के विद्वान वकील द्वारा आग्रह किया गया है।यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि खंड पीठ रिट याचिका का निपटारा करते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखने में विफल रही।हमारे विचार में, इस तरह के आदेश ने निस्संदेह पक्षों के लिए पूर्वाग्रह पैदा किया है क्योंकि यह उन्हें यह जानने से वंचित करता है कि एक पक्ष क्यों जीता है और दूसरा क्यों हारा है।हम उस तरीके को कभी स्वीकार नहीं कर सकते जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश पारित किया गया था जिसने हमें गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजने के लिए विवश किया है।

/

/

16. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हम अपील की अनुमति देते हैं, आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर देते हैं और ऊपर की गई अपनी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए विधि के अनुसार गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय की खंड पीठ को भेज देते हैं।17. हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने ऊपर उल्लिखित कारणों से मामले को उच्च न्यायालय में भेजने के लिए एक राय बनाने के बाद विवाद के गुण-दोष पर कोई भी टिप्पणी करने से परहेज किया है।इसलिए, उच्च न्यायालय हमारी किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, विधि के अनुसार सख्ती से रिट याचिका पर फैसला करेगा।

/

/

18. उपरोक्त निर्देशों के साथ, अपील को तदनुसार अनुज्ञात जाती है और आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

/

दिव्या पांडे

अपील अनुज्ञात ।

/

/